झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
एकादश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 13.03.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	**प्रो0 स्टीफन मराण्डी स0वि0स0**	झारखण्ड राज्य की स्थापना के बाद राज्य में अवस्थित चारो शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों में आज तक कोई भी सहायक प्रध्यापक की स्थायी नियुक्ति नहीं की गई है साथ ही साथ राज्य के सभी उक्त महाविद्यालयों में संविदा के आधार पर शिक्षकों के द्वारा शिक्षण की जाती है। राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्वपोषित (Self Finance) के आधार पर बी0एड0 की पढ़ाई की जाती है जिनका मानदेय उनकी योग्यता के अनुरूप नहीं है। विश्वविद्यालयों में स्थायी शिक्षण विभाग नहीं होने के कारण राज्य के छात्रों को पी0एच0डी करने के लिए राज्य के बाहर जाना पड़ता है जो समान्यतः सभी छात्रों के लिए सम्भव नहीं हो पाता है। अतएव सरकारी महाविद्यालयों में यथाशीघ्र शिक्षा विभाग की स्थापना स्थायी पद का सृजन एवं NCTE के गाईडलाइन्स के अनुरूप संविदा पर नियुक्त सहायक प्रध्यापकों का एक समान मानदेय करने का प्रावधान करने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	**उच्च एवं तकनीकी शिक्षा**

01.	02.	03.	04.
02-	श्री बिरंची नारायण स0वि0स0	ज्ञातव्य हो की मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 154 दिनांक- 03.02.2021 के द्वारा राज्य के सभी पंचायतों में प्रति वर्ष मनरेगा अंतर्गत 5 पशु शेड की यौजनाओं की ही स्वीकृत करने का निर्देश दिया गया था। जनवरी-फरवरी, 2023 में उप विकास आयुक्त सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक, पलामू के द्वारा कराइ गई जाँच में यह पाया गया है कि पलामू जिला के 90 पंचायतों में वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 में मनरेगा आयुक्त के निर्देश के आलोक में जहाँ 900 पशु शेड की योजना ली जानी थी वहीं विभागीय आदेश की अवहेलना करते हुए पशु शेड की 9383 योजनाएँ चयनित की गई है इतनी बड़ी संख्या में पशु शेड की योजना को लिए जाने के पीछे प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों का स्वेच्छाचारिता, मनमानी तथा सरकारी राशि का गबन का उद्देश्य है। इसी तरह पलामू जिले के पाटन प्रखण्ड के 19 पंचायतों में दो वित्तीय वर्ष में 190 पशु शेड की योजना के स्थान पर 2374 योजना ली गई है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मनरेगा योजना के नोडल पदाधिकारी होते है योजनाओं के क्रियान्वयन में गड़बड़ी पाये जाने पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध आर्थिक दंड भी लगाये जाने का प्रावधान मनरेगा अधिनियम में है। मनरेगा योजना का अनुश्रवन, निगरानी तथा सफल क्रियान्वयन की जिम्मेवारी मुख्यतः प्रखण्ड विकास पदाधिकारी और प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी की होती है। विदित हो कि पाटन प्रखण्ड के हिसरा बरवाडीह पंचायत में 401 पशु शेड योजना को लिये जाने के मामले में पाटन थाना कांड संख्या- 104/2022 दर्ज किया गया है। उक्त काण्ड के पर्यवेक्षण प्रतिवेदन में सहायक पुलिस अधीक्षक सह	ग्रामीण विकास

कृ0पृ030-

01.	02.	03.	04.
		अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी सदर, मेदनीनगर ने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाटन व अन्य को भारतीय दण्ड विधान की धारा- 406/409/420/120 (B) के अन्तर्गत अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया है तथा गिरफ्तारी का निर्देश जारी किया है। किन्तु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस जाँच में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी व अन्य दोषी पाये गये है अतः मैं नियमसंगत कार्रवाई करने तथा निष्पक्ष जाँच के लिए तत्काल प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाटन को वर्त्तमान पद से हटाने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
03-	**श्री दशरथ गागराई स0वि0स0**	सरायकेला-खरसावाँ जिला में कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय का पहला स्कूल कुचाई प्रखंड में वर्ष 2005 में खुला है, परन्तु अभी तक विद्यालय का अपना भवन नहीं बन पाया है। वर्ष 2008 में 20 लाख की लागत से विद्यालय का भवन निर्माण विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जा रहा था, जिसमें वित्तीय अनियमितता का मामला प्रकाश में आने के बाद निर्माण कार्य अधर में लटक गया। वर्त्तमान में विद्यालय का अपना भवन नहीं है। प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय कुचाई के पुराने भवन और कल्याण विभाग के छात्रावास में यह विद्यालय संचालित है। कमरों के अभाव में यहाँ प्रतिवर्ष 50 बच्चों का ही नामांकन लिया जाता है, जबकि अन्य कस्तूरबा विद्यालयों में 75 बच्चों का नामांकन होता है। कुचाई एक सुदूरवर्त्ती नक्सल प्रभावित प्रखंड है, जहाँ शिक्षा पर अधिक बल देने की जरूरत है। **अतएव कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय कुचाई** के लिए निर्धारित मानक का भवन निर्माण हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता**

01.	02.	03.	04.
04-	श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता स0वि0स0	धनबाद जिला के प्रखण्ड निरसा अन्तर्गत महत्वपूर्ण निरसा गोविन्दपुर जलापूर्ति योजना के तहत वर्ष 2017 में टहल कम्पनी द्वारा कार्य शुरू कराया गया था, इस योजना के तहत् प्रखंड निरसा एवं गोविन्दपुर के तहत 439 (चार सौ उनचालीस) गाँवों के ग्रामिणों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए 29 उनतीस जलमिनार, दो वाटर ट्रांटमेन्ट पलान्ट, तथा दो वाटर रिर्जवर बनाया जाना था तथा उपरोक्त कार्य को संवेदक को 36 महिने में पुरा करना था, लेकिन उपरोक्त कार्य संवेदक द्वारा 7 वर्ष बितने के बाद भी आधा-अधुरा कार्य कर बंद कर दिया गया है कार्य आधा-अधुरा रहने के कारण टहल कम्पनी के संवेदक को काली सूचि में डाल दिया गया है। जगह-जगह इस महत्वपूर्ण योजना हेतु गाँवों में पाइप लाइन बिछाने के लिए मिट्टी खुदाई किया गया है तथा पाइप विखरा पड़ा है जिससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः भीषण गर्मी को देखते हुए उपरोक्त जलापूर्ति योजना का कार्य नये तरह से टेंडर चालु वित्तीय वर्ष में कराकर बंद पड़े योजना का कार्य शुरू कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करती हूँ।	पेयजल एवं स्वच्छता
05-	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की स0वि0स0 श्री विनोद कुमार् सिंह स0वि0स0 श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी स0वि0स0।	विदित हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 के अन्तर्गत ''चीक बड़ाईक'' जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है, जो क्रम संख्या-10 पर सूचीबद्ध है, दी शिड्यूल ट्राईब्स लिस्ट (मोडिफिकेशन) ऑडर 1956 के अन्तर्गत चीक बड़ाईक अनुसूचित जनजाति के रूप में क्रमांक-10 पर सूचीबद्ध है। कुछ रैयतों का वर्ष 1908 के सी0एस0 सर्वे खतियान में दर्ज कौम वर्ष 1932 के आर0एस0 सर्वे खतियान में कौम को बदल कर लिख दिया गया है, जिसको झारखण्ड	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

कृ0पृ030-

01.	02.	03.	04.
		सरकार राजस्व निबंध एवं भूमि सुधार विभाग (भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय) सरकार के उप सचिव के ज्ञापांक- 02-भू0प0नि0 वि0स0 (अ0सू0)-100-2022/770 वि0स0 राँची दिनांक- 20.12.2022 द्वारा प्रश्न सं0 के उत्तर में आंशिक रूप में स्वीकारात्मक माना गया है। उक्त प्रमाण से स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में जिनके खतियान में सिर्फ कौम 'चीक' अथवा सिर्फ कौम 'बड़ाईक दर्ज है, मूलतः एक ही जाति क्षेणी के ''चीक बड़ाईक'' है, लेकिन जिनके खतियान में सिर्फ कौम 'चीक' अथवा सिर्फ 'बड़ाईक' दर्ज है, उन्हें अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र नहीं मिल पा रहा है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड सरकार के उप सचिव का पत्रांक- 6327, दिनांक- 20.11.2002 निर्गत हुआ है, जिसमें जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संदर्भ में निहित् है, लेकिन उक्त आदेश में जिनके खतियान में सिर्फ कौम 'बड़ाईक' दर्ज है, उनके संदर्भ में कोई जिक्र नहीं किया गया है। अतः इस समुदाय के उत्थान के लिए जिन रैयत के सी0एस0 अथवा आर0एस0 खतियान में से किसी एक खतियान में कौम ''चीक'' अथवा कौम ''बड़ाईक'' अथवा ''चीक बड़ाईक'' लिखा हो उन्हें अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहती हूँ।	

राँची,
दिनांक- 13 मार्च, 2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

कृ0पृ0उ0-

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-01/2023-1039/वि0 स0, राँची, दिनांक-06/03/23

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/ सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/03/2023

(अनूप कुमार लाल)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-01/2023-1039/वि0 स0, राँची, दिनांक-06/03/23

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

06/03/2023

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

05/03/23